भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य **दिनांक–10 मई, 2017**

छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों, छोटे स्तर के अधिकारियों व लोक सेवकों से अपील!

सोशल मीडिया के अपने फेसबुक वॉल पर बस्तर की स्थिति पर लिखी गयी पोस्ट के लिए रायपुर जेल की सहायक जेल अधीक्षक सुश्री वर्षा डोंगरे को हाल ही में निलंबित करके छत्तीसगढ़ की ब्राह्मणीय हिन्दुत्ववादी भाजपा सरकार ने एकबार फिर अपने दलित विरोधी चेहरे को स्वयं ही बेनकाब किया है. यह न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है बल्कि घोर अलोकतांत्रिक व फासीवादी कदम है जिसकी हर तरफ से निंदा होनी चाहिए. इस संदर्भ में हमारी पार्टी तमाम शासकीय कर्मचारियों, छोटे स्तर के अधिकारियों व लोक सेवकों से अपील करती है कि वे भाजपा की केंद्र, राज्य सरकारों के दलित–आदिवासी–पिछड़ा–धार्मिक अल्पसंख्यक–महिला एवं शिक्षक–कर्मचारी विरोधी चरित्र व स्वभाव को अच्छी तरह जानें, पहचानें व समझें. ये सरकारें घोर लोकतंत्र विरोधी हैं. ये अपने ही संविधान, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रति रत्तीभर सम्मान की भावना नहीं रखती हैं.

ये सरकारें तमाम शासकीय अमले का भगवाकरण करने पर तुली हुई हैं. ज्ञात रहे छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्तारूढ़ होते ही शासकीय कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा में शामिल होने पर पूर्व में यानी अजित जोगी के कार्यकाल में लगी पाबंदी को हटाया गया था. जो भी इन सरकारों या इनकी कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हैं, उन पर कार्रवाई करती हैं, निलंबित करती हैं, सेवा से बर्खास्त करती हैं, यहां तक कि जेल भेजती हैं. वर्षा का मामला न पहला है और न ही आखिरी होगा. यह सिलसिला तो जारी रहेगा और तेज भी होगा. पूर्व में जेएनयु मामले पर सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन को नोटिस थमा दी गयी थी. मौजूदा न्याय प्रणाली के ही तहत काम करने वाले, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के नाजायज दबाव के आगे न झुकने वाले एवं बेकसूर आदिवासियों को माओवादियों के नाम पर जबरन झूठे मामलों में फंसाने व जेल भेजने से इनकार करने वाले सुकमा के पूर्व न्यायाधीश प्रभाकर ग्वाल को नौकरी से बर्खास्त करने का मामला बहुत पुराना नहीं है. मद्रास उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के 20 न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले, लिखित में प्रधान मंत्री को शिकायत भेजने वाले कोलकाता उच्च न्यायालय के दलित न्यायाधीश सीएस कर्नन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा छह महीने की सजा सुनाने का मामला पूरे देश के सामने ताजा बना हुआ है. यह बहुत हास्यास्पद है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की बजाए आरोप लगाने को ही कोर्ट की अवमानना माना गया, अपराध माना गया.

देशी, विदेशी कॉरपोरेट लूट, उग्र हिन्दुत्व, फासीवादी दमन इन सरकारों के एजेण्डे के असली मुद्दे हैं. देश की सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों खासकर आदिवासी इलाकों के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की नीतियों पर पुलिस, अर्ध सैनिक बलों की ताकत के बलबूते जबरन अमल किया जा रहा है. इसी के तहत दसियों हजार आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है. देश की उत्पीड़ित जनता विशेषकर आदिवासियों पर बर्बर दमन अभियान ग्रीनहंट जारी है. इन पर सवाल करने वाले जनवाद प्रेमियों, प्रगतिशील ताकतों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ईमानदार लोक सेवकों को निशाना बनाया जा रहा है.

भाजपा की मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने पांच दर्जन से भी ज्यादा अनुषांगिक संगठनों के जरिए केंद्र व राज्य सरकारों व सशस्त्र बलों के संपूर्ण व प्रत्यक्ष सहयोग, संरक्षण व संवर्धन से उग्र हिन्दुत्व एजेण्डे पर आगे बढ़ रहा है. दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खान–पान, रहन–सहन, पहनावा–ओढ़ावा, रीति–रिवाज एक शब्द में कहा जाए तो उनकी आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन शैली का घोर अपमान किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी बेरहमी से हत्या की जा रही है.

दरअसल ये सरकारें चाहती हैं कि तमाम शासकीय कर्मचारी व लोक सेवक खासकर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक व पिछड़े तबकों के शिक्षाकर्मी, कर्मचारी व लोक सेवक ड्यूटी के नाम पर यानी शासकीय सेवा के नाम पर शोषक–शासक वर्गों की चुपचाप सेवा करें. अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाएं, अपनी वर्गीय जड़ों को न पहचाने–भूल जाएं, एक शब्द में कहा जाए तो वे अपने अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान को भुला दें. अपनी अलग पहचान न बनावें. वे सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकर–चाकर बने रहें. व्यवस्था विरोधी या स्वतंत्र विचार रखने की बात तो दूर की, लेकिन मौजूदा कानूनों व संविधान के दायरे में रहकर ही, उन कानूनी व संवैधानिक अधिकारों के सही अमल की वकालत करने वालों, सही तरीके से अमल करने की कोशिश करने वालों, जनता के प्रति निष्ठा रखकर काम करने वालों को भी ये सरकारें सहन नहीं कर सकती हैं. यानी शासकीय कर्मचारियों, लोक सेवकों को आंखें मूंदकर, कान बांधकर, सच्चाई से मुंह मोड़कर सरकारों की जन विरोधी नीतियों पर मौजूदा कानूनों व संविधान के कुछेक जनपक्षधर प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए अमल करना चाहिए. यह कहना सही होगा कि उदारपंथी लोकतंत्रवादियों, उदार बुद्धिजीवियों को भी सरकार नहीं बख्शती है. हालांकि वर्तमान संविधान या कानूनें मूलतया शोषक वर्गों के हितों की पूर्ति के अनुरूप ही बनाए गए हैं लेकिन जनता के लंबे संघर्षों के फलस्वरूप उनमें कुछेक जनपक्षधर पहलुएं समय–समय पर जोड़ दिए गए हैं. इन पर भी अमल के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं.

सरकारें आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी जैसी साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थओं के दिशा–निर्देशों व शर्तों पर अमल करते हुए व्यवस्थापन खर्च को कम करने के नाम पर शासकीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर रही हैं. साथ ही स्थायी नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर संविदा नियुक्ति, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन नियुक्तियां कर रही हैं. सालों–साल रिक्त पदों पर नयी नियुक्तियां नहीं कर रही हैं. यह सरकारों के शिक्षक व कर्मचारी विरोधी एवं साम्राज्यवादीपरस्त चरित्र का परिचायक है. यहां यह बताना लाजिमी होगा कि लोक सेवक सही मायने में जनता के सेवक हैं न कि शोषक वर्गों के. वे सरकार का नहीं बल्कि जनता का नमक खा रहे हैं. इसलिए उन्हें जनता के प्रति वफादार बनकर, नमकहलाल बनकर काम करना चाहिए. हमारी पार्टी तमाम लोक सेवकों, कर्मचारियों खासकर दलित–आदिवासी–पिछडा–अल्पसंख्यक तबकों के शासकीय कर्मचारियों, शिक्षकों, छोटे अधिकारियों व लोक सेवकों से अपील करती है कि वे निड़र होकर, निर्भीक होकर, जनता के प्रति ईमानदारी, निष्ठा व समर्पित भावना के साथ काम करें और सरकारों द्वारा अपनाए जा रहे दमनात्मक हथकंडों के खिलाफ एकजुट होकर मजबूत, व्यापक व संगठित आन्दोलन करें.

विकल्प

(विकल्प)

प्रवक्ता

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)